



2026:AHC:51573

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 3318 वर्ष 2026

राखी शर्मा

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आलोक कुमार पांडे, कुवर अखिलेश सिंह, सुशील कुमार पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार पांडेय तथा विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री जे.एन. मौर्य, साथ में विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह वर्तमान में तहसील टुंडला, जिला फिरोजाबाद में तहसीलदार के पद पर कार्यरत है हालाँकि, आईजीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद रिपोर्ट जमा न करने में कुछ अनियमितताओं के कारण अलग-अलग तारीखों पर कई नोटिस/आदेश जारी किए गए, जिनमें याचिकाकर्ता से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया और इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का मासिक वेतन रोक दिया गया।
3. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
4. न्यायालय के समक्ष निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके अनुसार, पैरा 13 में यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता का वेतन जारी कर दिया गया है और उसे वेतन का भुगतान किया जा रहा है; अतः, रिट याचिका निष्फल हो गई है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इसके अलावा, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उक्त नोटिसों का जवाब देना याचिकाकर्ता का काम है।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके, तथापि, उनके अनुसार, वेतन को अवैध रूप से रोककर रखा गया था और याचिकाकर्ता उस पर ब्याज के भुगतान का हकदार है।
7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।
8. प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता ने उन नोटिसों/आदेशों को चुनौती दी है, जिनके द्वारा उसका वेतन रोक दिया गया है और याचिकाकर्ता से उस अनियमितता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो प्रतिवादियों के अनुसार, वेतन रोकने का आधार थी।
9. चूंकि, निर्देशों के अनुसार, अब वेतन रोकने का आदेश समाप्त हो चुका है और याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान किया जा रहा है, इसलिए यह याचिका निस्तारित की जाती है, साथ ही, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त नोटिसों का जवाब दे और उस पर संबंधित प्राधिकारी इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करेगा।
10. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

12 मार्च, 2026

एस.ए.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।